न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/नीमच/भूरा/2017/4468 विरूद्ध आदेश दिनांक 6-11-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 11/अपील/15-16

भगतराम पिता तुलसीरामजी मोगिया बावरी
निवासी मनासा जिला नीमच म0प्र0

.................आवेदक

विरूद्ध

1-भंवरलाल पिता धन्नाजी मोगिया बावरी,
निवासी मनासा जिला नीमच म0प्र0
2-जितेन्द्र पिता बगदीरामजी पाटीदार
देवरीखवासा तहसील मनासा जिला नीमच
3-नानुराम पिता धन्नाजी मोगिया बावरी (मृतक) वारिसान :-
अ-कन्हैयालाल पिता नानुराम मोगिया बावरी
ब-जगदीश पिता नानुराम मोगिया बावरी
सभी निवासी मनासा जिला नीमच म0प्र0
स-रामकन्याबाई पिता नानुराम पति प्रहलाद मोगिया बावरी
नवासी मनासा
हाल निवासी मोड़ी तहसील जावद जिला नीमच म0प्र0
द-कैलाशी बाई पिता नानुराम पति अमरसिंह मोगिया बावरी
निवासी मनासा हा0मु0 पामोखडा तहसील मल्हारगढ़
जिला मंदसौर म0प्र0

..................अनावेदकगण

श्री बी0एस0धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गागन्याखेड़ी तहसील मनासा की प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में विचारण न्यायालय तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24-3-2014 पारित किया कि अनावेदक क्रमांक 1 और आवेदक के नाम से स्थित प्रश्नाधीन भूमि में सहमतिकर्ता आवेदक व अनावेदक क्रमांक 3 का हिस्सा नहीं रहा है क्योंकि उक्त भूमि को सहमतिकर्ता द्वारा पूर्व में विक्रय किया जा चुका है । प्रश्नाधीन भूमि में से सर्वे नम्बर 275 रकबा 1.368 हेक्टेयर सहमतिकर्ता आवेदक ने क्रेता रामलाल पिता नाथु को विक्रय कर दिया है और इसका नामान्तरण भी दिनांक 16-6-1996 को हो चुका है । अन्य सहमतिकर्ता अनावेदक क्रमांक 3 ने अपने हिस्से की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 178 रकबा 1.214 हेक्टेयर क्रेता गणपत को विक्रय कर दी है और उसका नामान्तरण भी दिनांक 2-4-1996 को हो चुका है । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने उक्तानुसार नाम कम करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 24-3-2014 को आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 8-9-2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई और विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6-11-2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के यहॉ प्रचलन अपील के दौरान अनावेदक क्रमांक 3 की मृत्यु होने के पश्चात् भी उनके वैध वारिसान को अभिलेख पर लाने की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद भी आदेश एवं शीर्षक में मृतक अनावेदक क्रमांक 3 के वारिसान का कोई उल्लेख नहीं करते, विवादित आदेश पारित किया गया है, जबकि वैध वारिसों में अधीनस्थ तहसील न्यायालय

मनासा में प्रकरण क्रमांक 29/अ-6/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18-9-2017 अनुसार नामान्तरण उक्त सर्वे नम्बर की कृषि भूमि पर हुआ है जिसकी जानकारी विपक्षीगण को होते हुये उक्त आदेश को चुनौती नहीं देते हुये स्वीकार किया गया, इसके बाद भी मृतक अनावेदक क्रमांक 3 के वैध वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लाते हुये विवादित आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि के संबंध में उभयपक्ष के मध्य सिविल वाद भी लंबित है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय के अभिमत के विरूद्ध ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये विवादित आदेश पारित करने में भूल की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमियों का आज तक बटवारा नहीं हुआ है इसके बाद भी अनावेदकगण एवं आवेदक के हक व हिस्से की भूमि हड़पने के लिये अवैध रूप से अनावेदक क्रमांक 2 के पक्ष में सिविल वाद दौरान के बिक्री रजिस्ट्री करवायी, जिसका विवाद लंबित है, ऐसी स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित कर अनावेदक भंवरलाल व जितेन्द्र की अपील स्वीकार करने में त्रुटि की है । इसके अतिरिक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि अनावेदक भंवरलाल ने तहसील न्यायालय के समक्ष शामलाती खाता मौजा गांगन्याखेड़ी की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 330/मीन-02 रकबा 1.360 हेक्टेयर पर राजस्व अभिलेख में आवेदक एवं अनावेदक नानूराम(वर्तमान मृतक)का नाम कम कर मात्र अनावेदक भंवरलाल ने अपना नाम दर्ज किये जाने बावत् आवेदन पत्र पेश कर आवेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 275 रकबा 1.368 हेक्टेयर एवं विपक्षी नानुराम द्वारा सर्वे नम्बर 178 रकबा 1.214 हेक्टेयर बिक्री करना वर्णित किया है । लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के निष्कर्ष में विपक्षी भंवरलाल के आवेदन पत्र को स्वीकार करने का मुख्य आधार कथित सहमति लेख प्रस्तुत करना वर्णित किया है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 ने अनावेदक क्रमांक 2 के पक्ष में अवैध प्रकार से कराई गई बिक्री रजिस्ट्री की आड़ में आवेदक के हक, हिस्से आधिपत्य की कृषि भूमि में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने पर आवेदक ने विपक्षीगण के विरूद्ध व्यवहार न्यायालय मानसा में वाद पत्र पेश किया, जिसमें अनावेदक क्रमांक 1 व 2 ने प्रतिदावा पेश करते हुये अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई जो व्यवहार न्यायालय के आदेश दि.19-4-17 अनुसार निरस्त की गई, जिसकी अपील लंबित है। लिखित तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक के हिस्से की भूमि अनावेदक को किस आधारपर प्राप्त होने संबंधी कोई उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में नहीं किया है और नही

अनावेदक के पक्ष में कोई बंटवारा लेख है न ही सक्षम न्यायालय का कोई बंटवारा आदेश है न ही अनावेदक के पक्ष में सिविल न्यायालय की डिक्री है और न ही विपक्षी के पक्ष में कोई पंजीकृत स्वत्व परित्याग लेख है और इन सबके विपरीत सहखातेदार आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख से कम करने का कोई प्रावधान राजस्व न्यायालय को नहीं होकर भूमि हक विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं है ऐसा प्रश्न विनिश्चत करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, इसके बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने में विधिक भूल की है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवादित कृषि भूमि में से सहमतिकर्ताओं द्वारा अपने हिस्से की भूमि विक्रय कर दी गई है और उनका भी नामान्तरण हो चुका है । इस प्रकार उक्त सहमतिकर्ताओं की मौके पर और अन्य कोई भूमि शेष नहीं रही है । प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का कब्जा रहा है । प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक क्रमांक 1 के आधिपत्य व भूमिस्वमी हक की है । उनके द्वारा विचारण न्यायालय का आदेश अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस सहमति पत्र को आधार बनाकर तहसील न्यायालय / अपर आयुक्त ने आदेश दिये है, तहसील न्यायालय में उक्त सहमति पत्र की पुष्टि नहीं हुई है । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारकर विस्तृत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित किया है जो कि विधि अनुसार है । तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश संहिता के प्रावधान के अनुरूप नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-11-2017 एवं तहसीलदार मनासा जिला नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-3-2014 निरस्त किये जाते हैं तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दि.8-9-15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर